बजरी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

निवाई। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ की कार्यवाही करते हुए अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली व एक ट्रॉली को किया जब्त किया है। थानाधिकारी घासीराम मीणा ने बताया कि अवैध खनन रोकथाम अभियान के तहत अवैध बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली एवं जब्त किया है।

निवाई के गांवों में नहर की मांग को लेकर जल यात्रा निकाली

निवाई उपखण्ड के ग्राम पहाड़ी व अन्य गांवों में ग्रामीणों ने नहर की मांग को लेकर जल यात्रा के माध्यम से आन्दोलन का आगाज किया।

- नौतपा की भीषण गर्मी को मात देते हुए किसानों ने 2 घंटे गांव के परिक्रमा लगाई

टोंक/निवाई। निवाई उपखण्ड के ग्राम पहाड़ी व अन्य गांवों में किसान महापंचायत व ग्रामीणों ने नहर की मांग को लेकर जल यात्रा के माध्यम से आन्दोलन का आगाज करते हुए कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा ने वर्तमान में चल रहे नौतपा की भीषण गर्मी को मात देते हुए किसानों ने 2 घंटे गांव के परिक्रमा लगाई। यह कलश यात्रा ग्राम पहाडी में स्थित तेजा मंदिर से आरंभ होकर पहाड़ी पर स्थित माता जी के मंदिर तक पहुंच कर सभा में परिवर्तन परिवर्तित हुई।

सिर पर कलश लेकर चलने वाली महिलाएं नाचते के गाते चल रही थी। यात्रा जिस भी मार्ग से निकली, वही घर-घर से ठंडा पानी लेकर घरों से बाहर पुरुष महिलाएं खड़ी थी। पानी के कारण लूं प्रभावहीन रही। इस दौरान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने खेत को पानी-फसल को दाम- युवाओं को काम को देश की समृद्धि का मूल मंत्र बताया।

किसान की समृद्धि से ही देश की समृद्धि संभव है। इसलिए देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान की पगडंडी पर होकर जाने की युक्ति प्रचलन में आई। उन्होंने बताया कि निवाई तहसील से ही बीसलपुर का पानी ब्यावर जिले तक पहुंचा है तथा ईसरदा का पानी भी जयपुर तक पहुंचेगा तथा इस तहसील के गांव पानी को तरसते रहेंगे, जो सरकारों द्वारा तैयार की गई जल नीतियों का दुष्परिणाम है। जिसमें पानी के किनारे एवं पडोसी क्षेत्र पानी से वंचित है।

पानी तो भरपूर है- क्यों खेतों से दूर है, जल बीच मीन प्यासी है। यात्रा के अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोतास बोहरा, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष रेल लाओ संघर्ष समिति अकबर खान, प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बैरवा, खैरथल तिजारा वीरेंद्र, शेर सिंह दहिया, सरजीत सिंह एवं अन्य किसान प्रतिनिधि कार्यकर्ता व हजारो ग्रामीण मौजूद रहे।

आंदोलन में शामिल होने के लिए निवाई से भक्तजन रवाना

निवाई। भैराणा धाम दादू पालका में साधु संतों द्वारा भैराणा धाम को बचाने एवं सरकार द्वारा प्रस्तावित रीको को हटाने के लिए आंदोलनरत साधु संतों के आव्हान पर श्रीदादू दयाल आश्रम निवाई से थामायत राजेश दास के नेतृत्व में सैंकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सैकड़ों भक्तजन भगवान दादू दयाल के लिए जयकारे लगाते हुए रवाना हुए।

इस अवसर पर महंत बुद्ध गिरी महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। जालंधर नाथ सेवा समिति के महंत आस पांव बुद्धि, डॉ. रामफूल कसाना, वनस्थली सरपंच भवानी सिंह, सीन्दरा सरपंच देवा गुर्जर, रजवास सरपंच कानाराम जाट, जयनारायण कसाना, युवा नेता हरपाल कसाना, समाजसेवी सुरेश डोई, जितेंद्र राठौड, पीपलू युवा कांठोस के नेता नेहनूलाल जाट, यादव महासभा के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय यादव, भैंरूलाल स्वामी व विनोद शर्मा जुझारपुरा सहित सैकडों श्रद्धालु दादूराम सतराम के जयकारे के साथ रवाना हुए।

भक्तों ने बताया कि पिछले एक माह से भैराणा धाम को बचाने के लिए संत आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल होने के लिए भक्तों का यह रैला रवाना हुआ है।

श्वान काटने के मामले बढ़े

मनोहरपुर। मनोहरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में बंदरों और आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोगों को काटकर घायल करने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

सीएचसी में प्रतिदिन 5 से 7 मरीज उपचार के लिए आते है। पहुंच रहे हैं। सीएचसी की नर्सिंग ऑफिसर चंद्रकला जाट एवं पार्वती कोली ने बताया कि 22 से 25 मई तक बंदर व श्वान के काटने के कई मामले सामने आए हैं। 22 मई को महेंद्र कुमार (30) मनोहरपुर, बजरंग (25), हसन खान (8) मनोहरपुर तथा बलराम (45) नवलपुरा घायल हुए। 23 मई को पुष्पा (25) मनोहरपुर, विजेंद्र (25) खोरा, मोहम्मद (11) मनोहरपुर, दिव्यांशु (4) मामटोरी कला और पुलकित चौहान (12) खोरा को बंदर एवं श्वानों ने काट लिया।

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. एमसन पॉवर सिस्टम्स प्लॉट नंबर एच-1/496 (A) रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान एक पार्टनरशिप फर्म है। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 02/145/2008 दिनांक 17.11.2008 है। उक्त फर्म में श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र उदय सिंह एवं श्री स्वर्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पार्टनर है। श्री स्वर्ण सिंह दिनांक 25 मई 2026 से स्वेच्छा से फर्म से अपनी भागीदार छोड रहे है एवं श्रीमति परमिन्दर कौर पत्नी मोहिन्दर सेखों नई पार्टनर बन गई है। उक्त भागीदरी परिवर्तन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, भिवाडी में अपनी आपत्ति दर्ज करावें।

-पार्टनर, मै एमएसन पॉवर सिस्टम्स

आम - सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित "ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि सिटी वंडर कॉलोनाइजर्स LLP द्वारा खसरा नंबर 130/11 एवं 11/130, ग्राम गिरधारीपुरा, जयपुर (राजस्थान)। में प्रस्तावित है इस पर भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान द्वारा पत्र संख्या RJ/25/SEAC2(06)/INFRA2/EC/1031 और प्रस्ताव संख्या 560336 दिनांक 22.05.2026 को प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण स्वीकृति पत्र की प्रति https://parivesh.nic.in/ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वास्ते

मैसर्स सिटी वंडर कॉलोनाइजर्स LLP

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक :- 1153 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक :- 27/05/2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 50/441 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री कैलाश नारायण मीणा पुत्र श्री राम गोपाल मीणा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1720 दिनांक 31.07.1996 को जारी किया गया। श्री कैलाश नारायण मीणा के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 16.05.1997 को उप पंजीयक-सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री कैलाश नारायण मीणा की मृत्यु दिनांक 22.09.2008 को हो जाने के कारण पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण मीणा द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण मीणा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक: 916 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 15.05.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 262/178 (EWS), (एरिया 48.895 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री अब्दुल सत्तार मन्सुरी पुत्र श्री गुलाब खॉ को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 6321 दिनांक 22.10.2003 को जारी किया गया। श्री राकेश बिन्दल पुत्र श्री राजमल बिन्दल के पक्ष में उक्त आवास का पंजीकरण पत्र क्रमांक 3188/5910 दिनांक 21.02.2014 के द्वारा किया गया। श्री राकेश बिन्दल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 28.02.2014 को उप पंजीयक जयपुर प्रथम, के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री राकेश बिन्दल द्वारा श्री अमित कुमार गुप्ता पुत्र श्री लल्ला प्रसाद गुप्ता को दिनांक 24.06.2014 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री अमित कुमार गुप्ता द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 23.07.2014 के द्वारा श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री प्रभुदयाल शर्मा एवं श्री प्रभुदयाल शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सुधा देवी का स्वर्गवास दिनांक 10.05.2021 को होने पर इनके वारिसों द्वारा उक्त के 1/2 भाग का पंजीकृत हकत्याग पत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा के पक्ष में निष्पादित किया गया। श्री प्रभुदयाल शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 22.11.2022 के द्वारा श्रीमती मीना कुमारी शर्मा पत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार शर्मा को उपहार कर उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां उपहार पत्र का पंजीकरण करवाया गया। क्रेता/केती श्रीमती मीना कुमारी शर्मा पत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती मीना कुमारी शर्मा पत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार शर्मा का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 537/2026

चूंकि महन्त सुदामा दास चैला स्व. महन्त राधारमण दास निवासी मंदिर श्री रामेश्वरधाम, अजीतगढ रोड़ शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत मन्दिर श्री रामेश्वरधाम कार्यालय पता- अजीतगढ रोड़, शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 15/4/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 19/06/2026

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 627/2026

चूंकि श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी वैश्यों का मौहल्ला आजाद चौक, नरेना जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री मुरली मनोहर मंदिर ट्रस्ट, वैधों का मौहल्ला, आजाद चौक नरेंना जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 21/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 27/07/2026

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 632/2026

चूंकि श्री हिम्मत सिंह राठौड निवासी 35, शिवाजी निकेतन कॉलोनी, गौतम मार्ग, वैशाली नगर जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1). के अन्तर्गत कैन्डलवीक एज्युकेशनल सोसायटी सेक्टर 2, विद्याधर नगर जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 21/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 28/07/2026

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 634/2026

चूंकि श्रीमती मोनिका गुप्ता पत्नी श्री अतुल गुप्ता निवासी 196 गोरधन नगर, बम्बाला पुलिया के पास वीटीसी, सांगानेर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास "हैनिमैन चेरिटेबल मिशन सोसायटी" जे-890, सीतापुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया, टोंक रोड जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 25/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 30/07/2026.

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 633/2026

चूंकि बरखा शर्मा निवासी 2442 गोविन्द राय जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत सत्कार वूमेंस वेलफेयर सोसायटी 2442 गोविन्द राय जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 21/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 28/07/2026

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

भू-जल संचयन से संबंधित कार्यों का निरीक्षण

कोटपूतली । जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने बुधवार को नीमराणा उपखण्ड का विस्तृत दौरा कर चिकित्सा सेवाओं, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था, राजस्व कार्यों तथा जल संरक्षण एवं भू-जल संचयन से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएचसी नीमराणा एवं शाहजहांपुर, उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय सहित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं वाटरशेड विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों का मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। जिला कलक्टर ने ठाीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए पीएचईडी अधिकारियों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, खराब हैंडपंपों को प्राथमिकता से ठीक करने तथा जल जीवन मिशन एवं समर कंटिंजेंसी कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। आवश्यकता वाले स्थानों पर टैंकर से पेयजल आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने कहा कि ठाामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आमजन को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

संपर्क पोर्टल के परिवादों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए तथा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर सिस्टम स्थापना हेतु अधिकाधिक किसानों एवं आमजन को जागरूक किया जाए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने पर जोर दिया। दौरे के दौरान जिला कलक्टर ने सीएचसी नीमराणा एवं शाहजहांपुर का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गर्मी एवं लू-तापघात से बचाव हेतु अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां सुदृढ़ रखने की बात कही।

अखंड हरिनाम संकीर्तन की धूम

- संत शिरोमणि कृष्णानंद महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से अखंड हरिनाम संकीर्तन का भव्य आयोजन किया

निवाई । नगर पालिका के पीछे स्थित जमात में धार्मिक माहौल पूरी तरह परवान पर है। संत शिरोमणि कृष्णानंद महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से क्षेत्र में अखंड हरिनाम संकीर्तन का भव्य व दिव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और गहरी श्रद्धा देखी जा रही है। भगवान के भजनों व अखंड हरिनाम के जयकारों से आस-पास को क्षेत्र गुंजायमान हो उठा है, जिससे संपूर्ण वातावरण अत्यंत पवित्र और भक्तिमय बन गया है। श्रद्धालु मोंटी शर्मा ने बताया कि वर्तमान में चल रहे पवित्र पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में अखंड हरिनाम संकीर्तन का बीड़ा उठाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आध्यात्मिक आयोजन आगामी 15 जून तक लगातार इसी प्रकार बडे ही हर्षोल्लास, गरिमा व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। प्रभु भक्ति का यह सिलसिला दिन-रात अनवरत रूप से चल रहा है। जिसको लेकर दिन भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पांडल में एकत्र होते हैं और पूरी तल्लीनता के साथ सामूहिक रूप से हरिनाम संकीर्तन करते हुए ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं। भक्ति की यह बयार सुबह से लेकर देर शाम तक अनवरत बहती रहती है। मोंटी शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे भगवान की विशेष महाआरती का आयोजन किया जाता है, जो सभी के आकर्षण व श्रद्धा का मुख्य केंद्र होती है। महाआरती के समय झांझ, मंजीरे व ढोलक की थाप पर सभी श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से नाचते-गाते रहते हैं और झूमते हुए प्रभु की भक्ति का आनंद लेते हैं। 15 जून तक आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संकीर्तन के दौरान नाथूलाल शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, कैलाशचंद शर्मा व लक्ष्य शर्मा सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।

राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया

कोटपूतली । जिला कलक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद कोटपूतली द्वारा बुधवार को राजस्व ठााम चतुर्भुज में राजकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण एवं कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 19 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भू-माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाकर राजकीय भूमि को मुक्त करवाया गया तथा भूमि की सुरक्षा एवं पुन: अतिक्रमण रोकने के उद्देश्य से तारबंदी के लिए गड्ढे भी खुदवाए गए । इस दौरान राजस्व अधिकारी कृष्ण कुमार यादव, कनिष्ठ अभियंता कृष्ण गुर्जर, कनिष्ठ अभियंता भादर सिंह यादव, सफाई निरीक्षक सहित नगर परिषद के अन्य कार्मिक मौके पर उपस्थित रहे।

खोया पाया

मैं सौभाग मल श्रीमाल निवासी 1072 धोसीयों का रास्ता रामगंज बाजार जयपुर मेरे बैंक खाता संख्या 42000100002482 जिसके चैक नम्बर 000102 से 000105 तक खाली चैक खातीपुरा से वैशाली नगर के बीच कहीं गिर गये है मिलने पर सूचित करें। 9314044607

मेरे आवास 50/381, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर के मूल आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र कहीं खो गया है जो कि प्रदीप कुमार के नाम से जारी है कृपया मिलने पर सूचित करें चमन विजय 9252505699

NAME CHANGE

We, Nitin Dwivedi and Praveena Vyas, hereby declare that we have changed the name of our daughter from Utkarsha Nitin Dwivedi to Utkarsha Dwivedi for all future and legal purposes. Address: Shriram Heights, YA-60, 6D, Engineers Colony. Manyawas, Jaipur Mobile: 8435277653

I have changed my name from suraj Prakash Soni to Suraj soni r/o II-E-274 JNV colony bikaner.

मैं आँची देवी (AANCHI DEVI) पुत्र आर्मी नम्बर 3205232P हवलदार राजेश कुमार गेनन निवासी हरिपुरा जिला सीकर (राज.) ने अपने पुत्र के सर्विस रिकार्ड में अपना नाम आँची देवी (ANCHI DEVI) से बदलकर आँची देवी (AANCHI DEVI) कर लिया है।

रैन बसेरे में ही 'अंधेरा' पसरा मिला, महिला कक्ष में पुरुष सोते मिले

- पीने से लेकर शौचालय तक पानी गायब, रसोई में जूठे बर्तन और गंदगी का मिला अंबार

किशनगढ़ बास। बेघर और जरूरतमंदों को रात का आसरा देने वाले रैन बसेरे में ही 'अंधेरा' पसरा मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल-तिजारा के सचिव अजीत कुडी ने बुधवार को स्थानीय रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया तो हालात देखकर दंग रह गए। महिला विश्राम गृह में दो पुरुष बेखौफ सो रहे थे, पीने का पानी नदारद था और रसोई में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। शौचालय-स्नानागार में पानी की एक बूंद नहीं। सचिव ने सख्त चेतावनी देकर कहा व्यवस्था नहीं सुधरी तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय में सचिव ने पुलिस प्रशासन व नगर पालिका अधिकारियों के साथ बैठक की। न्यायपालिका व उपखंड परिसर में व्याप्त अवस्थाओं पर चर्चा की, पूरे परिसर का अधिकारियों के साथ अवलोकन किया ओर सुधार के निर्देश दिए। बैठक में उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सतबीर सिंह, थानाधिकारी बनवारी लाल, बार संघ अध्यक्ष राकेश तिवाडी, सचिव रविंद्र तक्षक, नगर पालिका के प्रतिनिधि बाबू, सुरेश शर्मा सहित न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी और संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बुधवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर आमजन को सुलभ न्याय और मूलभूत सुविधाएं देने के अभियान के तहत यह निरीक्षण और बैठक की गई। सचिव अजीत कुड़ी सीधे रैन बसेरे पहुंचे और वहां पहुंचकर असहाय लोगों को मिल रही सुविधाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान सबसे बडी लापरवाही महिला विश्राम गृह में दिखी जहां पुरुष सोते हुए मिले। नियमों के मुताबिक महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग खंड हैं, पर यहां दो पुरुष महिला वार्ड में सो रहे थे। इस सुरक्षा चूक पर सचिव ने कडी आपत्ति जताई। महिला वार्ड के सामने एक कमरा बंद मिला। अटेंडेंट नरेंद्र से पूछा तो न चाबी मिली, न संतोषजनक जवाब। रैन बसेरे में कुल 15 बेड की व्यवस्था बताई गई, लेकिन जमीन पर नियमों का पालन नहीं होता मिला। रैन बसेरे की सबसे चिंताजनक हालत पानी और सफाई की थी। पूरे परिसर में पीने का पानी का कोई स्रोत चालू नहीं मिला यहां तक कि शौचालय और स्नानागार में भी पानी नहीं था। अन्नपूर्णा रसोई घर में गंदगी का अंबार था। भोजन बनाने और परोसने के बर्तन जूठे हालत में इधर-उधर बिखरे पडे थे। जांच में सामने आया कि रसोई में भोजन बनाने वाली महिला और उसका पति ही सहकर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। यह सब देखकर सचिव अजीत कुडी ने अटेंडेंट नरेंद्र और स्टाफ को मौके पर ही फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि रैन बसेरे में ठहरने वाले हर व्यक्ति के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं होगा। पीने का पानी और शौचालयों में तुरंत जलापूर्ति के निर्देश दिए। प्रबंधन को चेतावनी दी कि सारी व्यवस्था अविलंब दुरुस्त करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। सचिव ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

कमरा नं. 405, चतुर्थ तल, प्रशासनिक भवन, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020
दूरभाष नं. 9311047886 GM (Civil), 7728895364 Manager (Civil);
ई-मेल: gmcivil@jaipurmetrorail.in, mgrcivil@jaipurmetrorail.in & jmrccivilioffice215@gmail.com

सं. :- 130/JMRC/O&S/Civil/Works/2025-26

निविदा सूचना

JMRC द्वारा फेज 1A और 1B के मेट्रो स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के किनारे और ट्रेन कोच के दरवाजे की सिल के बीच अत्यधिक अंतर को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म कोपिंग पर नियोप्रिन की फिक्सिंग करने हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जा रही है।' अनुमानित लागत ₹ 12,78,252 रूपये है। निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15.06.2026 को 15:00 बजे तक है। निविदा के विवरण एवं आगामी स्पष्टीकरण / शुद्धिपत्र हेतु https://transport.rajasthan.gov.in/jmrc, https://sppp.rajasthan.gov.in या https://eproc.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। (UBN: JMR2627WSOB00015)

राज.संवाद/सी/26/3659 महाप्रबंधक (सिविल)

प्रदूषण रहित, सस्ता, सुरक्षित एवं आरामदायक सफर - जयपुर मेट्रो

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक: न.नि.भ./ स्कीम /2026-27/4091 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक: 21.05.2026

अर्जुन नगर योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 81 क्षेत्रफल 161.48 वर्गगज का आवासीय रूपान्तरण पट्टा विलेख क्रमांक 529 दिनांक 17.02.2014 नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा श्री छोटे सिंह पुत्र श्री बारेलाल जाति यादव निवासी अर्जुन नगर मथुरा रोड, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्री छोटे सिंह पुत्र श्री बारेलाल ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.05.2020 को श्री शिव सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उर्फ विजय सिंह को विक्रय कर दिया। विक्रय होने के पश्चात् उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन नगर निगम, भरतपुर के पत्रांक 15602-604 दिनांक 14. 03.2023 के द्वारा श्री शिव सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उर्फ विजय सिंह के नाम पूर्व में हो चुका है। श्री शिव सिंह ने उक्त भूखण्ड में से 718.06 वर्गफुट जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 03.04.2025 के द्वारा श्रीमती तारावती शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार स्वामी को विक्रय कर दिया। उक्त भूखण्ड का उपविभाजन नगर निगम, भरतपुर के पत्रांक 2392-394 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा श्रीमती तारावती शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार स्वामी व श्री शिव सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उर्फ विजय सिंह के नाम पूर्व में हो चुका है। भूखण्ड संख्या 81-ए जिसका क्षेत्रफल 79.78 वर्गगज श्रीमती तारावती शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा का रहा एवं भूखण्ड संख्या 81 जिसका क्षेत्रफल 81.70 वर्गगज श्री शिव सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उर्फ विजय सिंह का रहा। श्री शिव सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उर्फ विजय सिंह ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.08.2025 के द्वारा श्रीमती कुसुम पत्नी श्री अमित कुमार को विक्रय कर दिया। आवेदिका श्रीमती कुसुम पत्नी श्री अमित कुमार जाति प्रजापत निवासी अर्जुन नगर, भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं। भूखण्ड संख्या 81, अर्जुन नगर, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 81, अर्जुन नगर, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी, स्कीम शाखा
नगर निगम, भरतपुर

पीढ़ियों के लिए पानी बचाना बहुत जरूरी : रामहेत

किशनगढ़ बास । पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव बुधवार को कोटकासिम उपखंड के गांव कतोपुर स्थित बाबा दुर्लभ नाथ आश्रम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की, हवन यज्ञ में आहुति दी और नवनाथों का पूजन किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर ठाामवासियों ने माला और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रामहेत यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिए है। इसी के तहत राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलाशय को सुंदर बनाने के लिए 2 करोड़ 66 लाख रुपए मंजूर किए हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने मुख्य सड़क से मंदिर तक बने सीसी रोड का उद्घाटन भी किया। राजस्थान सरकार की 'नमामि गंगे जल अभियान' के तहत आश्रम पर पवित्र सरोवर और पीपल का पूजन किया। वहां मौजूद ठाामीणों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। रामहेत यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही जल संरक्षण योजना को जन-जन तक पहुंचाने का आठाह किया।

पावटा के ठीकरिया स्टैंड पर वाटर कूलर का लोकार्पण

ठीकरिया स्टैंड पर आमजन की सुविधा के लिए वाटर कूलर स्थापित किया गया।

- भीषण गर्मी में राहगीरों को मिलेगी शीतल जल की राहत
- कार्यक्रम में ठाामीणों ने इस जनहित कार्य की सराहना करते हुए इसे गर्मी के मौसम में राहगीरों और आमजन के लिए बड़ी राहत बताया

पावटा । भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच ग्राम पंचायत ठीकरिया स्टैंड पर आमजन की सुविधा के लिए वाटर कूलर स्थापित किया गया। बुधवार को ठाामीणों की मौजूदगी में सामाजिक सरोकार की इस पहल का लोकार्पण किया गया।

भामाशाह धर्मेंद्र कुमार खातोदिया, विक्रम कुमार खातोदिया एवं नाथूराम गिल्या द्वारा स्वर्गीय रामवतार खातोदिया और स्वर्गीय शिंभू दयाल गिल्या की स्मृति में यह वाटर कूलर भेंट किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने इस जनहित कार्य की सराहना करते हुए इसे गर्मी के मौसम में राहगीरों और आमजन के लिए बडी राहत बताया। ग्रामीणों ने कहा कि ठीकरिया स्टैंड पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में शीतल पेयजल की व्यवस्था होने से यात्रियों, मजदूरों और राहगीरों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान महेश यादव, रोहिताश भंगार, गिरवर सिंह, कमल यादव सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। सामाजिक सहयोग और जनसेवा की भावना से किए गए इस कार्य की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।

कार्यालय नगरपालिका देवली (टोंक) राज.
Tel.- (01434) 232013 E-mail : npdeoli@gmail.com

क्रमांक :: न.पा.दे. / आपत्ति आमन्त्रण सूचना / 2026-27 / 22504206 दिनांक : 27.05.2026

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

एतद्द्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि पालिका क्षेत्र में अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा अपनी सम्पति के 69-ए हेतु आवेदन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को निम्नांकित इजाजत बाबत् आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर म्याद विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद म्याद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगीं।

क्र. स.	नाम प्रार्थी	मौहल्ला	भूखण्ड संख्या / नाप	प्रयोजन
1.	श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व. श्री बाबू लाल बलाई	वार्ड संख्या 10 घोसी मोहल्ला देवली	भूखण्ड नाप 58.88 वर्गगज	69-क
2.	श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री चेतन प्रकाश शास्त्री	वार्ड संख्या 26 गांवडी हाऊस के प्लाटो में देवली	भूखण्ड नाप 138.88 वर्गगज	69-क

राज.संवाद / सी / 26 / 3670 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगरपालिका किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा) राज.
Mail Id-npkishangarhbas@gmail.com, PH.-01460-242233

क्रमांक: न.पा.कि.बास/2026/894 **आपत्ति सूचना** दिनांक 27/05/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत 69-क व 90-अ के एक्ट के तहत ऑनलाईन पट्टा बनवाने हेतु निम्न प्रकार ऑनलाईन पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति संस्था या किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो 07 दिवस में इस कार्यालय में अपनी आपत्ति मय सबूत इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मयाद निकलने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	पता	खसरा नं.
		90 - क		
1	श्रीमती कमलेश	हरीराम	वार्ड नं. 14 लख्याणी मार्केट कि. बास	341
2	विजय सिंह	मतादीन जाटव	वार्ड नं. 19 अलवर रोड कि.बास	361
3	शैलेन्द्र कुमार, जीतेन्द्र कुमार	हरीश चंद	यदुवंशी कॉलोनी कि.बास	567
4	सिमरन बतरा	रमेश चंद	वार्ड नं. 13 बासड़ा रोड़ कि.बास	419
5	कन्हैया लाल, प्रहलाद सैनी	हीरा लाल सैनी	वार्ड नं. 20 बासड़ा कि.बास	703
		69- क		
क्र.सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	पता	खसरा नं.
		90 - क		
1	जतिन सोनी	योगेश सोनी	रैणी मौहल्ला कि. बास	535

उपरोक्त व्यक्ति को 69-क व 90-अ एक्ट पट्टा के लिए कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 07 दिवस में इस कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उपयुक्त व्यक्ति का पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा, (राज.)